

क्रमांक: एफ.6/बजट/सीटीएडी/2018-19

जयपुर, दिनांक 08.07.2019

प्रतिष्ठा में

स्वीकृति सं० 06/2019-20

मुख्य अभियन्ता (भवन एवं पथ)
सार्वजनिक निर्माण विभाग
जयपुर।

विषय - वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत जनजाति छात्र-छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 133.33 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं कोष कार्यालय के माध्यम से राशि के आहरण किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (भवन एवं पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को अधिकृत किये जाने बाबत।

प्रसंग - आयुक्त कार्यालय की एकल पत्रावली क्रमांक एफ.6/बजट/सीटीएडी/2018-19 में प्रेषित प्रस्तावानुसार प्रेषित प्रस्तावानुसार वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 161900705 दिनांक 04.06.2019 के द्वारा दी गई सहमति के क्रम में।

1.स्वीकृति—वित्तीय वर्ष 2019-20 में जनजाति कल्याण निधि मद अन्तर्गत जनजाति छात्र-छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण कार्य हेतु राशि रूपये 133.33 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति जारी करने एवं कोष कार्यालय के माध्यम से राशि के आहरण किये जाने हेतु मुख्य अभियन्ता (भवन एवं पथ) सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर को अधिकृत किये जाने की एतद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. योजना— जनजाति छात्र-छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण कार्य।

3. वित्तीय वर्ष - 2019-20

4. राशि— 133.33 लाख (अक्षरे रु. एक करोड तैतीस लाख तैतीस हजार) मात्र

5. बजट मद—

माँग संख्या -30

- | | |
|------|--|
| 4225 | अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्प संख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय। |
| 02 | अनुसूचित जनजातियों का कल्याण। |
| 796 | जनजातीय क्षेत्र उपयोजना। |
| (20) | जनजाति क्षेत्रीय विकास हेतु विशेष योजनान्तर्गत कार्यक्रम (ज.क.नि.)। |
| 02] | जनजाति छात्र/छात्राओं के छात्रावास भवन निर्माण। |
| 17 | वृहद निर्माण कार्य। |

6. शर्तः—

1. राशि का उपयोग उन्हीं कार्यक्रमों पर किया जाएगा जिसके लिए राशि स्वीकृत की गई है।
2. उपयोगिता प्रमाण पत्र स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 1 वर्ष की अवधि में राज्य सरकार को प्रस्तुत करने होंगे।
3. स्वीकृति जारी होने की दिनांक से वित्तीय वर्ष की समाप्ति के उपरांत यदि कोई राशि शेष रहती है तो राज्य सरकार को लौटानी होगी।
4. राशि का व्ययवर्तन राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा।
5. आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर एवं अन्य कार्यकारी एजेन्सियों/विभागों के खाते भारत सरकार/राज्य सरकार के प्रतिनिधियों के अंकेक्षण हेतु खुले रहेंगे।
6. राशि का व्यय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की अभिशंषा के अनुरूप किया जाएगा।
7. स्वीकृति से अर्जित चल/अचल सम्पत्ति का रहन/बेचान राज्य सरकार की अनुमति के बिना नहीं होगा।
8. किसी भी परिस्थिति में स्वीकृत राशि से अधिक व्यय नहीं किया जायेगा।
9. व्यय तत्संबंधी नियमों/निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए ही किया जायेगा।

- 10 लोक उपापन में पारदर्शित अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 में विहित प्रावधानों को सुनिश्चित करते हुए ही व्यय किया जायेगा।
- 11 विभाग द्वारा कराये जाने वाले कार्यों का विस्तृत तकनीकी एस्टीमेट तैयार करवाकर सक्षम स्तर से अनुमोदन कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
- 12 योजना के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए वास्तविक आवश्यकतानुसार अनुमत कार्य ही सक्षम प्रशासनिक स्तर से अनुमोदन पश्चात् कराये जायेंगे।

नोट:- यह स्वीकृति आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर की एकल पत्रावली संख्या एफ.6/बजट/सीटीएडी/2018-19 पर वित्त विभाग द्वारा दिये गये अनुमोदन के आधार पर उन्ही की पत्रावली पर जारी की जा रही है। स्वीकृति जारी करने के उपरान्त मूल पत्रावली आयुक्त कार्यालय को भिजवाई जा रही है।

7. संलग्न- निल।

8. अन्तर्विभागीय सहमति संख्या:-

यह स्वीकृति वित्त (व्यय-11) विभाग की अन्तर्विभागीय संख्या 161900705 दिनांक 04.06.2019 द्वारा प्राप्त सहमति के अनुसरण में जारी की गई है।

भवदीय,


(दीपक नन्दी)

संयुक्त शासन सचिव

9. प्रतिलिपि-

- 1 निजी सचिव-मुख्यमंत्री/विशिष्ट सहायक-मंत्री,टीएडी/निजी सचिव-प्रमुख शासन सचिव, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, जयपुर।
- 2 महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर (आडिट/लेखे)।
- 3 आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 4 संयुक्त शासन सचिव, वित्त (व्यय-11)।
- 5 निदेशक, वित्त(आय-व्ययक) विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि मुख्य अभियन्ता सा.नि.वि को आहरण एवं वितरण अधिकारी घोषित किये जाने की सहमति वित्त (व्यय-2) विभाग ने प्रदान की है। अतः उक्त स्वीकृत राशि रूपये 133.33 लाख की स्वीकृति के अनुसार कोष कार्यालय से आहरण करने हेतु मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) जयपुर को अधिकृत करने हेतु पृथक से आदेश जारी कराये।
- 6 अतिरिक्त आयुक्त उपयोजना/माडा जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 7 वित्तीय सलाहकार, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 8 कोषाधिकारी, जयपुर।
- 9 संयुक्त निदेशक (मोने.) टीएडी, जयपुर।
- 10 एसीपी, कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
- 11 प्रोग्रामर कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि बीएफसी अनुसार स्वीकृति का संधारण कराएँ।
- 12 परिवीक्षण/सामान्य/गार्ड फाईल।

10. आज्ञा से,


लेखाधिकारी

स्वीकृति सं० 06/2019-20

दिनांक - 08.07.2019